अनवान पप्पु देवी बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 08/2024
निर्णय तारीखः– 07.11.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 08/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/00117

अनवान

1. पप्पु देवी पत्नी केवलचंद जाति जैन निवासी मौखुपूरा तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थी...........

1. प्रभारी अधिकारी सहायक क्षैत्रीय प्रबंधक रिको जालोर।
2. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।
3. आयुक्त नगरपरिषद सांचौर।

अप्रार्थीगण...........

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 19.07.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी।
3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 07.11.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के कब्जासुदा आवासीय भूखण्ड माखुपूरा में नवीन खसरा नम्बर 2214 में से नवसर्जित खसरा संख्या 4045/2214 में आये हुए हैं। उक्त भूमि सालो से हम प्रार्थीगण के साथ–साथ अन्य नागरीको के आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग उपभोग में आ रही हैं। लेकिन भूलवंश उक्त जमीन राजस्व रेकर्ड में रिको के नाम दर्ज की गई हैं। रिको को आंवटित भूमि जिसका रकबा 125 बीघा है, जिसके नवीन खसरा संख्या 2209, 2211, [illegible]3, 2214, 2215, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228 [illegible] जिसका कुल रकबा 20.23 हैक्टर रिको के नाम दर्ज हैं। लेकिन वास्तव में रेकर्ड [illegible] स्थिति एवं मौके की स्थिति में भिन्नता हैं। क्योंकि खसरा संख्या 2221, 2222, 2223, 22[illegible] 2225, 2226, 2227, 2228, 2219, 2214 भूमि जिस पर रिको का कभी भी कब्जा नही रहा उक्त भूमि पर नागरीको का कब्जा एवं नगर पालिका सांचौर का कब्जा रहा हैं। वक्त आंवटन से आज दिन तक खसरा संख्या 2209, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215 व 3589/2214 कुल रकबा 20.23 हैक्टर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:11:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

पर तथा खसरा संख्या 3589 / 2214 जो मूल खसरा संख्या 2214 में से सर्जित किया गया है पर रिको का कब्जा है एवं रिको की फैक्ट्रीया संचालित हो रही हैं। नवीन खसरा संख्या 2214 में से नवसर्जित खसरा संख्या 4045 / 2214 रकबा 15.21 हैक्टर भूमि में से 0.32 हैक्टर भूमि हमारे आवासीय उपयोग व उपभोग में आ रही है, जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को है तथा अप्रार्थीगण ने कभी भी 0.32 हैक्टर भूमि पर हमारे उपयोग उपभोग एवं रहवास बाबत् उजर ऐतराज नहीं किया। उक्त खसरा नं. 4045 / 2214 रकबा 15.21 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर भूमि नगर पालिका सांचौर के नाम रेकर्ड दुरुस्ती कर आबादी दर्ज किया जाना न्यायसंगत हैं। हस्तगत प्रार्थना–पत्र से पूर्व नगर पालिका सांचौर द्वारा प्रकरण संख्या 01 / 2013 किस्म धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश किया था। जिसका निर्णय अदालत हाजा द्वारा दिनांक 26.07.2023 को पारित किया गया है जिसमें रेकर्ड दुरुस्ती का खसरा नं. 2214 रकबा 16.95 हैक्टर में से 1.74 हैक्टर नगर पालिका सांचौर के कब्जा अनुसार राजस्व रेकर्ड में आबादी दर्ज करने का आदेश दिया जा चुका हैं। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर माननीय अदालत से निवेदन है कि सरहद मौजा माखुपुरा पटवार हल्का सांचौर में स्थित आराजी नवीन खसरा संख्या 4045 / 2214 रकबा 15.21 हैक्टर में से 0. 32 हैक्टर भूमि नगर पालिका सांचौर के नाम आबादी दर्ज करने का रेकर्ड शुद्धि का आदेश देने की मेहरबानी करावें

2. प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय मे जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

3. प्रार्थीयागण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वक्त आंवटन से आज दिन तक खसरा संख्या 2209, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215 व 3589 / 2214 कुल रकबा 20.33 हैक्टेयर भूमि पर तथा खसरा संख्या 3589 / 2214 जो मूल खसरा संख्या 2214 में से सृजित किया गया है पर रिको का कब्जा है एंव रिको की फेक्ट्रियां संचालित हो रही है। नवीन खसरा संख्या 2214 में से नवसृजित खसरा संख्या 4045 / 2214 रकबा 15.21 हैक्टेयर भूमि में से 0. 32 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीयागण के आवासीय उपयोग–उपभोग में आ रही है जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को है तथा अप्रार्थीगण ने कभी भी 0.32 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग एवं रहवास बाबत् उजर एतराज नहीं किया तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र से पूर्व नगरपालिका सांचौर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2013 किस्म धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेष किया था जिसका निर्णय न्यायालय [illegible] दिनांक 26.07.2023 को पारित किया जिसमें रेकर्ड दुरूस्ती का खसरा संख्या 2214 रकबा [illegible] हैक्टेयर में से 1. 74 हैक्टेयर नगरपालिका सांचौर के कब्जा अनुसार राजस्व रेकर्ड में आबादी दर्ज करने का आदेश दिया जा चुका है इस कारण उक्त खसरा संख्या 4045 / [illegible] रकबा 15.21 हैक्टेयर में से 0.32 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका सांचौर के नाम रेकर्ड दुरूस्ती कर आबादी दर्ज करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:11:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

4. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता के बहत में निवेदन किया कि नवीन खसरा संख्या 4045 / 2214 रकबा 15.21 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका सांचौर के नाम दर्ज नहीं है तथा उक्त खसरा राजस्थान स्टेट इण्ड. डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट का. लि. रिको के नाम दर्ज है तथा उक्त खसरा नंबर की आराजी में प्रार्थीयागण का कोई हक हकुक नहीं होने से प्रार्थीयागण रेकर्ड दुरूस्ती करने का अधिकार नहीं होने से प्रार्थीयागण का धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

5. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीयागण ने मौजा मौखुपुरा के खेत खसरा संख्या 4045 / 2214 रकबा 15.21 हैक्टेयर में से 0.32 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका सांचौर के नाम आबादी दर्ज कर रेकर्ड शुद्धि करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त खसरा संख्या 4045 / 2214 रकबा 15.21 हैक्टेयर भूमि राजस्थान स्टेट इण्ड. डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट का. लि. रिको के नाम दर्ज है। प्रार्थीयागण ने एक भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है कि खसरा संख्या 4045 / 2214 में से रकबा 0.32 हैक्टेयर की आराजी नगरपालिका सांचौर के नाम किस आधार पर दर्ज की जावें, क्योकि प्रार्थीयागण ने न तो पुराना राजस्व रेकर्ड पेश किया है जिससे यह साबित हो कि वर्तमान खसरा संख्या 4045 / 2214 की आराजी पूर्व में किसके नाम दर्ज थी तथा न ही प्रार्थीयागण ने किसी राजस्व एजेन्सी की मौका पैमाइश रिपोर्ट पेश की जिससे यह साबित हो कि वर्तमान खसरा संख्या 4045 / 2214 में से 0.32 हैक्टेयर की आराजी मौके पर आबादी के रूप में उपयोग में ली जा रही हो। प्रार्थीयागण ने प्रकरण संख्या 01 / 2023 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सांचौर बनाम प्रभारी अधिकारी वगैरह का निर्णय दिनांक 26.07.2023 की नकल पेश की है, परन्तु उक्त प्रकरण को नगरपालिका सांचौर द्वारा पेश किया गया था, परन्तु वर्तमान प्रकरण को निजी व्यक्ति द्वारा पेश किया गया है इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की ताईद में नहीं आने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

—:: आदेश ::—

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम की ताईद में नहीं आने से खारिज किया जाता है। पक्षकरान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:11:01 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)